

## अभिकरण प्नर्नियुक्ति हेत् आवेदन प्रपत्र (Proforma for Agency Reappointment)

	द्वारा(From)	सेवा मे (To),		<u> </u>
	मुख्य/वरीय/शाखा प्रबन्धक (Chief/Sr/Branch	वरीय मंडल प्रबंधक/ विपणन प्रबंधक		
	Manager)	(Sr.Divisional Manager/ Marketing Manager)		
	शाखा(Branch) ;	जमशेदप्र मंडल कार्यालय		
	ANTI WATER TO THE AT FRAME (Date	(Jamshedpur Divisional Office)		
	विषयः <mark>अभिकरण पनर्नियक्ति हेत विवरण (Data for Reappointmentof Terminated Agent)</mark> पिछली एजेंसी से सम्बंधित जानकारियां			
1	Name of Agent/अभिकर्ता का नाम	न्यायत जानकारिया 		
2	Branch/शाखा			
	Ag. Code No//अभिकर्ता कूट स-			
4	Date of Appointment/नियुक्ति की तिथि			
5	Date of Termination/ समाप्ति की तिथि			
6	Licence Expiry Date			
7	Date of issuance of Trainning Certificate And Test/प्रशिक्षण प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि			
8	No.of Agency Years completed			
9	Reason for terminatiom//समाप्ति का कारण			
10	Whether eligible for Renewal Commission/नवीकरन कमिशन प्राप्ती योग्य			
11	lf ERC whether ERC Declaration submitted/अगर हाँ तो ERC घोषणा संलग्न है			
12	पिछले वि.अ./मु.जी.बी.स. का नाम और कूट सं. /Name and Code no.of Previous DO/CLIA			
13	नए वि.अ./मु.जी.बी.स. का नाम और कूट सं. /Name and Code no.of New DO/CLIA			
14	पिछले 3 सालों मे अभिकर्ता द्वारा किया गया व्यवसाय / Last 3 years business profile in Agency	Year	No of Lives	FPI
	नुनर्नियुक्ति पर अभिकर्ता एक नये अभिकर्ता कूट सं प्राप्त करेगा .पुनर्नियुक्ति संभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिये एक नयी नियुक्ति समझी जायेगी एवं अभिकर्ता अपने पुराने अभिकरण के तहत किये गये व्यवसाय के किसी कमिशन को पाने का उत्तरदायी नहीं होगा.पिछली एजेंसी के अंतर्गत किसी भी सुविधा यथा क्लब सदस्यता, ग्रेचुटी इत्यदि का नये अभिकर्ता सं में कोइ दायित्व नहीं होगा.			
	The agent on reappointment will get a new agency code. The reappointment for all practical purposes shall be considered as a fresh appointment and the agent will not be liable for commission under any business completed under the old agency. No benefits of the tenure of the old agency would be made applicable to the tenure for gratuity, club membership, etc.			
15	पूननियुक्ति की स्थिति मे अभिकर्ता द्वारा अविलंब जमा			
	किए जाने वाले बीमा व्यवसाय का विवरण/ Details of			
	Discipance for impropriets as businesses often	I		

Reappointment.

17

Business for immediate submission after

16 स.शा.प्र.(वि.)/ शा.प्र.(वि.) की अनुशंषा / Recommendation of ABM(S)/BM(S)

म्./व./शाखा प्रबन्धक की अनुशंषा / Recommendation of Chief/ Sr./ Branch Manager